हरिसिंह बनाम सरकार
2016/00203
निर्णय दिनांक 15.05.2023

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2016 / 00203 दर्ज तिथिः– 20.05.2016

1. हरिसिंह उर्फ हरिशचन्द पुत्र रामधनसिंह उम्र साल जाति राजपूत निवासी बसईजोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी तह0 थानागाजी जिला–अलवर।

...................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपडा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम बसईजोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज चली आती है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम बसईजोगियान की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा के [illegible] / 3 हिस्सा अंकित है। जबकि जमाबंदी संवत् 2038 प्रार्थी का हिस्सा 1 / 2 अंकित है। जो जमाबंदी संवत–2043–46 के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी की हिस्सा सही दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का हिस्सा [illegible] राजस्व जमाबंदी में [illegible] इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

हैं। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्सा सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/3 हिस्सा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071–74 वाके ग्राम बसईजोगियान के नवीन खाता संख्या–542 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	हिस्सा	खसरा संख्या	रकबा
हरिसिंह पुत्र रामधनसिंह जाति राजपूत सुरेतवाल सा.देह खातेदार	**हिस्सा–1/3**	1271	0.63 है0
शहजाद सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत सुरेतवाल सा.देह खातेदार	**हिस्सा–1/3**		
सुरेन्द्र सिंह कमल सिंह पिसर हनुमान सिंह रेशम मीरा सीता गीता पुत्रियान हनुमान सिंह रज्जो देवी पत्नि हनुमान सिंह जाति राजपूत सुरेतवाल सा.देह खातेदार	**हिस्सा–1/3**		

4. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम बसईजोगियान का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:–

हाल		साबिक	
खसरा	रकबा	[illegible]	रकबा
1271	0.63 है0	1137	02 बीघा 13 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में मुताबिक जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2043–46 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या 256 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	साबिक आराजी खसरा संख्या	रकबा
हरिसिंह पुत्र रामधनसिंह शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह हनुमान सिंह समान भाग कौम राजपूत	1137	02 बीघा 13 बिस्वा

इस प्रकार साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2043–46 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या 256 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के साथ अन्य सह–खातेदारों के नाम भी दर्ज रिकॉर्ड है।

6. प्रकरण में मुताबिक जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2038 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या–233 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	साबिक आराजी खसरा संख्या	रकबा
हरिसिंह पुत्र रामधनसिंह शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह समान भाग कौम राजपूत	1137	02 बीघा 13 बिस्वा

इस प्रकार साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2038 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या–233 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी तथा सह–खातेदार सगा भाई शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह समान भाग हिस्सा–1/2 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इससे ज्ञात होता है कि जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2038 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या–233 में हरिसिंह पुत्र रामधनसिंह शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह समान भाग दर्ज है। जबकि जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2043–46 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या 256 में हरिसिंह पुत्र रामधनसिंह शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह समान भाग के साथ एक अन्य खातेदार हनुमान सिंह वल्दियत अंकित नही होना बिना किसी आधार के दर्ज रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

- *मुताबिक जमाबंदी संवत्–2043–46 में हनुमान सिंह का नाम अलग लाईन में बिना किसी आधार के जोडा गया है जो गलत है।*

8. उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी की हाल आराजी पर हरिसिंह पुत्र रामधन सिंह हिस्सा–1/3 तथा शहजाद सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा–1/3 के साथ 5 अन्य सह–खातेदार हिस्सा–1/3 मुताबिक जमाबंदी संवत्–2075–78 खाता संख्या–548 दर्ज होना साबित है। मुताबिक साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2038 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या–233 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी तथा सह–खातेदार सगा भाई शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह समान भाग हिस्सा–1/2 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इससे ज्ञात होता है कि जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2038 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या–233 में हरिसिंह पुत्र रामधनसिंह शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह समान भाग दर्ज है। जबकि जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2043–46 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या 256 में हरिसिंह पुत्र रामधनसिंह शहजाद सिंह पिसर सुल्तान सिंह समान भाग के साथ एक अन्य खातेदार हनुमान सिंह वल्दियत अंकित नही होना बिना किसी आधार के दर्ज रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 04.03.2020 के अनुसार जमाबंदी संवत्–2075–78 खाता संख्या–548 में दर्ज हरिसिंह पुत्र रामधन सिंह हिस्सा–1/3 तथा शहजाद सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा–1/3 के अतिरिक्त 05 अन्य सह–खातेदार हिस्सा–1/3 गलत आधार पर दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2038 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या–233 व जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2043–46 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या 256 के राजस्व इन्द्राज तथा तहसीलदार थानागाजी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 04.03.2020 के आधार पर हाल जमाबंदी संवत्–2075–78 के खाता संख्या–548 में हरिसिंह पुत्र रामधन सिंह हिस्सा–1/3 तथा शहजाद सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा–1/3 के अतिरिक्त दर्ज 5 अन्य सह–खातेदार हिस्सा–1/3 गलत आधारों पर दर्ज होना साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत:

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2038 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या–233 व जमाबंदी बन्दोबस्त संवत्–2043–46 वाके ग्राम बसईजोगियान के खाता संख्या 256 के राजस्व इन्द्राज तथा तहसीलदार थानागाजी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 04.03.2020 के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित हाल जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

संवत्–2075–78 के खाता संख्या–548 में हरिसिंह पुत्र रामधन सिंह हिस्सा–1/3 तथा शहजाद सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा–1/3 के अतिरिक्त **दर्ज 5 अन्य सह–खातेदार हिस्सा–1/3** का अंकन कलमजन कर सम्पूर्ण आराजी पर **हरिसिंह पुत्र रामधन सिंह हिस्सा–1/2 तथा शहजाद सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा–1/2** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested